

Rajasthan Armed Constabulary Act, 1950

(Act No. 12 of 1950)

Made by His Highness the Rajpramukh on the 7th day of August, 1950. An Act for the regulation of the Rajasthan Armed Constabulary.

Whereas it is expedient to provide for the constitution and regulation of the Rajasthan Armed Constabulary; It is hereby enacted as follows:—

- 1. Short title and commencement.** - (1) This Act may be called the Rajasthan Armed Constabulary Act, 1950.
(2) [It extends to the whole of the State of Rajasthan.]
(3) It shall come into force at once.
- 2. Definitions.** - (1) In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context,—
 - (1) "*Commandant*", "*Assistant Commandant*" and "*Adjutant*" mean person appointed by the [State Government] to those offices of the Rajasthan Armed Constabulary.
 - (2) [....]
 - (3) "*Officer of the Rajasthan Armed Constabulary*" means a person appointed to the Rajasthan Armed Constabulary under this Act, who has, in accordance with the provisions of this Act, signed a statement, in the form given in the Schedule.
 - (4) The expressions "*reason to believe*", "*criminal force*" and "*assault*" have the meanings respectively assigned to them in the Indian Penal Code of the Central Legislature.
 - (5) "*Superior Officer*" means in relation to an officer of the Rajasthan Armed Constabulary any officer of a rank which as prescribed is higher than that of such officer.
 - (6) "*Prescribed*" means prescribed by rules made this Act.
 - [(7) "*Inspector General*" and "*Deputy Inspector General*" mean the persons respectively appointed by the State Government to the Inspector General of Police and Deputy Inspector General of Police, under the law for the time being in force for the regulation of the police force in the State of Rajasthan.]
["*Inspector General*" shall also include the Additional Inspector General Police appointed by the State Government]
 - [(2) References in this Act, to the Police Act, 1861 of the Central Legislature shall be construed as references to that Act as adopted to the preorganisation State of Rajasthan.]
- 3. Raising of Rajasthan Armed Constabulary.** - There shall be raised and maintained by the Government a force to be called the Rajasthan Armed Constabulary and it shall be constituted in one or more [battalions] in such manner and for such period as may be prescribed.

[3A. Control over and administration of Rajasthan Armed Constabulary. — The control and direction of the Rajasthan Armed Constabulary shall vest in the Inspector General and in such Deputy Inspector General, as the State Government shall direct.

(2) Subject to such control and direction, the administration of a battalion of the Rajasthan Armed Constabulary shall vest in its commandant and such Assistant commandant, as the 'State Government shall direct.]

- 4. Enrolment and discharge of officers of the Rajasthan Armed Constabulary.** - Before any person whether already enrolled in the Rajasthan Police Force or not so enrolled, is appointed to be an officer of the Rajasthan Armed Constabulary, the statement in the schedule shall be read; and if necessary, explained to him by a Magistrate, [Inspector General, Deputy Inspector General] Commandant, or Assistant Commandant, shall be signed by him in acknowledgement of its having been so read and explained to him and shall be attested by the Magistrate, [Inspector General, Deputy Inspector General] Commandant, or Assistant Commandant, as the case may be.
- 5. Members of Rajasthan Armed Constabulary to be deemed Police Officers.** - Subject always to the provisions of section 6 to 8, every member of the Rajasthan Armed Constabulary shall, upon his appointment and as long as he continues to be a member thereof, be deemed to be a Police officer and subject to any terms, conditions and restrictions, as may be prescribed, to have and be subject to, in so far as they are not inconsistent with this Act or any rules made thereunder, all the powers, privilege liabilities, penalties; punishments and protection as a Police Officer duly enrolled has or is subject to by virtue of the Police Act, 1861, of the Central Legislature, or any other law for the time being in force, or any rules or regulations made thereunder.
- 6. More Heinous Offences.** - An officer of the Rajasthan Armed Constabulary who—
 - (a) begins, excites, causes or joins in any mutiny or sedition or being present at any mutiny or sedition does not use his utmost endeavours to suppress it, or, knowing or having reason to believe in the existence of any mutiny or of any intention to mutiny, does not without delay give information thereof to his commanding or other Superior Officer; or
 - (b) uses or attempts to use criminal force against or commits an assault on his Superior Officer, whether on or off duty; or
 - (c) abandons, or delivers up any post or guard which is committed to his charge or which it is his duty to defend; or

- (d) directly or indirectly, holds correspondence with or assists or relieves any person in arms against or hostile to India or omits to disclose immediately to his commanding or other Superior Officer any such correspondence coming to his knowledge; or
- (e) deserts the service; shall, on conviction, be punished with transportation for life or with imprisonment for a term which may extend to fourteen years and shall be liable to fine.

7. Less heinous Offences. - An officer of the Rajasthan Armed Constabulary who—

- (a) strikes or assaults any sentry; or
- (b) being under arrest or in confinement, escapes from arrest or confinement; or
- (c) is grossly insubordinate or insolent to his Superior Officer in the execution of his office; or
- (d) strikes or maliciously ill-treats any officer of the Rajasthan Armed Constabulary subordinate to him in rank or position; or
- (e) Malingers, or feigns, or produces disease or infirmity in himself or intentionally delays his cure, or aggravates his disease or infirmity; or
- (f) being a sentry, sleeps while upon his post; or
- (g) quits his post guard, piquet party or patrol without being regularly relieved or without leave.

shall on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years or with fine or with both.

8. Minor punishments. - (1) [The Inspector General or a Deputy General or a Commandant or] subject to the control of [such Inspector General or Deputy Inspector General or Commandant or Assistant Commandant] or such other officer as may be prescribed, may without formal trial, award to any officer of the Rajasthan Armed Constabulary of and below the rank of head constable who is subject to his authority, any of the following punishments for the commission of any offence against discipline which is not otherwise provided for in this Act or which in the opinion of the Commandant, Assistant Commandant or officer, as the case may be is not of sufficiently serious nature to call for prosecution before a criminal court, that is to say :

- (a) Imprisonment in the quarter-guard, or such other place as may be considered suitable, for a term which may extend to twenty-eight days when the order is passed by a Commandant, or to seven days when it is passed by any other officer Such imprisonment shall involve the forfeiture of all pay and allowances for the period of imprisonment.

(b) Punishment drill, extra guard, fatigue or other duty, not exceeding twenty-eight days in duration, with or without confinement to the Lines.

(c) Fine not exceeding seven days' pay.

(2) Any of the punishments specified in sub-section (1) may be awarded separately or with any one or more of the others:

Provided always that imprisonment and confinement to the lines shall not exceed twenty-eight consecutive days, and fine shall not be combined with imprisonment.

(3) No appeal shall lie from an order passed under this section.

9. Discharge from Rajasthan Armed constabulary. - Notwithstanding molting contained in the Police Act, 1861, of the Central Legislature, or in any other law no officer of the Rajasthan Armed Constabulary shall be entitled to be discharged from the Rajasthan Armed Constabulary [otherwise than on resignation submitted by him in writing and accepted by the Inspector General or Deputy Inspector General:

Provided that such Inspector General or Deputy Inspector General may in his direction refuse to accept any such resignation]

10. Reversion. - The [Inspector General] may notwithstanding anything contained in section 9, at anytime revert to the Rajasthan Police an officer of the Rajasthan Armed Constabulary who has been [seconded] from the [Rajasthan Police].

11. Place of Imprisonment. - (1) A person sentenced under this Act, to imprisonment for a period exceeding three months, shall, notwithstanding anything contained in the Police Act, 1861, of the Central Legislature, be deemed to have been dismissed from the Rajasthan Police Force and from the Rajasthan Armed Constabulary and shall be imprisoned in the nearest or such other jail as the Government may, be general or special order, direct. (2) A person sentenced under this Act to imprisonment for a period not exceeding three months may, if [the Inspector General or a Deputy Inspector General or a Commandant] or subject to his control, an Assistant Commandant, so directs, be confined in the quarter guard or such other place as the [such Inspector General or Deputy Inspector General or Commandant] or Assistant Commandant may consider suitable.

12. Saving of Prosecution under other Laws. - Nothing in this Act shall prevent any person from being prosecuted under the Police Act, 1861, of the Central Legislature, or under any order, or rule made under that Act or any other enactment for the time being in force or any act or omission punishable thereunder, or from being liable, if so prosecuted to any other or higher penalty that is provided for that act or omission by this Act :
Provided that no person shall be punished twice for the same offence.

- 13. Disciplinary and other Powers of Commandant and 2nd-in-Command of Rajasthan Armed Constabulary otherwise than in respect of the Rajasthan Armed Constabulary** — Subject to such rules as the [State Government] may make in this behalf [a Deputy Inspector General or a Commandant or an] Assistant Commandant shall have with respect to Police Officer appointed to the Rajasthan Police Force, under the Police Act, 1861 of the Central Legislature, who are not officers of the Rajasthan armed Constabulary, the same disciplinary powers as [a Deputy Inspector General or] a Superintendent of Police of a District, has with respect to them under that Act.
- 14 Powers of the [State Government] to disband or reconstitute the Rajasthan Armed Constabulary.** - (1) The [State Government] may by notification in the [Official Gazette] disband or reconstitute the Rajasthan Armed Constabulary or may [battalion] thereof.
- (2) Whenever the Rajasthan Armed Constabulary or any 5[battalion] thereof is disbanded or reconstituted under sub-section (1), it shall, notwithstanding anything contained in this Act or any other enactment for the time being in force and subject to such conditions, as may be prescribed, be lawful for the [State Government] with a view to such disbandment or reconstitution to discharge any officer from the Rajasthan Armed Constabulary if he is enrolled under the Police Act, 1861, of the Central Legislature, and has not been confirmed, from the Police Force also.
- 15. Power to make rules.** - (1) The [State Government] may make rules for carrying to the purposes of this Act.
- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the rules may provide for the following matters, that is to say
- (i) the number of [battalions] to be constituted;
 - (ii) the pay and other terms and conditions of service of officers of the Rajasthan Armed Constabulary;
 - (iii) the manner in which and the persons who may be appointed to be officers of the Rajasthan Armed Constabulary;
 - (iv) any other matter which is to be or may be prescribed.

Schedule

Statement

(See Section 4)

At no time during the period of your service in the Rajasthan Armed Constabulary, you will be entitled to obtain your discharge at your own request. On the liquidation of the force of of the [battalion] in which you may for the time being be posted, you will be discharged from the Rajasthan Armed Constabulary and, unless you were already a confirmed member of the Rajasthan Police Force

before joining the Rajasthan Armed Constabulary from the Rajasthan Police also (You will however, be eligible for re-enlistment in the Rajasthan Police Force) In the event of your continuing in the Rajasthan Police Force or your re-enlistment therein, your services in the Rajasthan Armed Constabulary will count for promotion and pension in the Rajasthan Police Force.

Signature of Police Officer in acknowledgement of the above having been read over to him.

Signed in my presence, after I had ascertained that understood the purport of what he signed.

Magistrate, *[Inspector General,
Deputy Inspector General]
commandant or Assistant Commandant.

*This portion in brackets will be deleted in the case of officers who are already members of the Rajasthan police force on joining the Rajasthan Armed Constabulary.

राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरि अधिनियम, 1950

(1950 का अधिनियम क्रमांक 12)

आरजे48

7 अगस्त 1950 को महामहोदय राजमहोदय द्वारा बनाया गया।

राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरि के अधिनियम के लिए एक अधिनियम।

जबकि राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरि के गठन और अधिनियम के लिए आवश्यक करना समीचीन है; इसे इस प्रकार अधिनियमित किया गया है:-

1. संक्षेप शीर्षक और शीर्षक.- (1) इस अधिनियम को राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरि अधिनियम, 1950 कहा जा सकता है।

(2) इसका विलोपन संपूर्ण राजस्थान राज्य तक है।

(3) यह तुरंत लागू होगा।

2. परिभाषा.- (1) इस अधिनियम में जब तक कि वर्य या संदर्भ में कोई विपरीत बात न हो, -

(1) "कमांडांट", "सहायक कमांडांट" और "एडजुटेंट" का अर्थ राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरि के उन कार्यालयों में [राज्य सरकार] द्वारा नियुक्त अधिकारी है।

(2) [...]

(3) "राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरि के अधिकार" का अर्थ इस अधिनियम के तहत राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरि में नियुक्त एक अधिकारी है, जिसने इस अधिनियम के अधिनियम के अनुसार, अनुसूची में दिये गए विषयों में एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं।

(4) अधिनियमित "विकास करने का कारण", "आपराधिक बल" और "हमला" के विषयों में [हरे जो उद्देश्यमय: कल 88] वधानमंडल का भारतीय दंड संहिता में दिये गए हैं।

(5) "वरिष्ठ अधिकार" का तात्पर्य राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरि के एक अधिकार के संबंध में उस रकम का कोई भी अधिकार है जो पंथांतरित रकम से अधिक है।

(6) "पंथांतरित" का अर्थ इस अधिनियम द्वारा बनाये गये पंथांतरित द्वारा पंथांतरित है।

[(7) "महापंथरक" और "उपमहापंथरक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा दिये गए: पुलिस महापंथरक और पुलिस उपमहापंथरक के अधिनियम के लिए लागू कानून के तहत पंथांतरित अधिकारों से है। राजस्थान राज्य में पुलिस बल।]

["महापंथरक" में राज्य सरकार द्वारा पंथांतरित अधिनियमित महापंथरक पुलिस भी शामिल होंगे] [(2) इस अधिनियम में, कल 88 के अधिनियम के पुलिस अधिनियम, 1861 के संदर्भ को उस अधिनियम के संदर्भ के रूप में माना जाएगा जैसा कि राजस्थान के पुनर्गठन पूर्व राज्य में अपनाया गया था।]

3. राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरि का स्थापना।- सरकार द्वारा राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरि नामक एक बल का गठन और रखरखाव किया जाएगा और इसे एक या एक से अधिक [बटालियनों] में इस तरह से और ऐसी अवधि के लिए गठित किया जाएगा जो पूर्व पंथांतरित हो।

[3. राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरि पर नियंत्रण एवं प्रशासन।- राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरि का नियंत्रण और निदेशन महापंथरक और ऐसे उप महापंथरक में निहित होगा, जैसा राज्य सरकार

पुनर्दक्ष करेगी।

(2) ऐसे पुनर्युग्ण और पुनर्दक्ष के अधीन, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलर क़ा एक बटा लयन का मिशासन उसके कमांडांट और ऐसे सहायक कमांडांट मण्डल में रहत होगा, जैसा क़ा राय सरकार पुनर्दक्ष देगी।" 4. राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलर क़ा के अधिकारय का नामांकन और पुनर्वाहन।-कसी भी अधिकृत को, चाहे वह पहले से ह 8 राजस्थान पुलिस बल मण्डल नामांकन हो या नामांकन न हो, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलर क़ा का अधिकार पुनर्युग्ण क़ा जाने से

पहले, अनुसूची मण्डल वरण पढ़ा जाएगा; और य 0 द आवक्यक हो, तो उसे मिजहेंट, [महापुनरक़ा, उप महापुनरक़ा] कमांडांट, या सहायक कमांडांट द्वारा समझाया गया है, उसके द्वारा इस बात क़ा वीकृत मण्डल हेंटा क़ा क़ा एंजे क़ा उसे इस तरह पढ़ा और समझाया गया है -40 उसे और मिजहेंट द्वारा सयपत क़ा जाएगा, [महापुनरक़ा, उप महापुनरक़ा] कमांडांट, या सहायक कमांडांट, जैसा भी मामला हो।

5. राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलर क़ा के सदस्य को पुलिस अधिकार माना जाएगा।- हमेशा धारा 6 से 8 के मण्डल के अधीन, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलर क़ा के मयके सदस्य को, उसका पुनर्युग्ण पर और जब तक वह उसका सदस्य बना रहेगा, एक पुलिस अधिकार माना जाएगा और कसी भी पुनर्युग्ण, शत के अधीन होगा। और पुनर्युग्ण, जैसा क़ा पुनर्युग्ण क़ा जा सकता है, सभी शिष्टेय, वशेषाधिकार देनदारय, दंड को रखने और उनके अधीन होने के लए, जहां तक वे इस अधपुनर्युग्ण या इसके तहत बनाए गए कसी भी पुनर्युग्ण से असंगत नह 8 ह 8, वधवत नामांकन एक पुलिस अधिकार के 0 प मण्डल दंड और सुरका क़ा 8 य वधानमंडल के पुलिस अधपुनर्युग्ण, 1861, या उस समय लागू कसी अ 0 य कानून, या उसके तहत बनाए गए कसी भी पुनर्युग्ण या पुनर्युग्ण के आधार पर द 8 जाती है।

6. अधिक जघ 0 य अपराध.- राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलर क़ा का एक अधिकार जो-

(ए) कसी व 0 ह या राज 0 ह को शु 0 करता है, उ 0 े 0 जित करता है, कराता है या उसमण्डल शामिल होता है या कसी व 0 ह या राज 0 ह मण्डल उपिथत होता है, उसे दबाने के लए अपने अधिकतम मयस को उपयोग नह 8 करता है, या कसी व 0 ह या कसी के अिधत व को जानते हुए या उस पर व 0 वास करने का कारण रखता है। व 0 ह करने का इरादा रखता हो, उसका सूचना अपने कमांडंग या अ 0 य वरक़ा अधिकार को 0 बना दे क़ा नह 8 देता; या

(बी) अपने वरक़ा अधिकार के खलाफ आपराधक बल का उपयोग या उपयोग करने का मयस करता है या उस पर हमला करता है, चाहे वह मयूठ पर हो या बाहर; या

(सी) कसी पोहट या गाड को छोड़ देता है या स 0 प देता है जो उसके मभार के लए पुनर्युग्ण है या िजसका रका करना उसका कत 0 य है; या

(डी) मयक या मयक 0 प से, भारत के खलाफ या श 0 तापूण हथियार रखने वाले कसी भी अधिकृत के साथ प 0 ाचार करता है या उसका सहायता करता है या राहत देता है या अपने कमांडंग या अ 0 य वरक़ा अधिकार को अपनी जानकारी मण्डल आने वाले ऐसे कसी भी प 0 ाचार का तुरंत खुलासा करने से चूक जाता है; या

(ई) सेवा छोड़ देता है; दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या चौदह वष तक क़ा कैद क़ा सजा द 8 जाएगी और जुमाना लगाया जाएगा।

7. कम जघ 0 य अपराध।- राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलर क़ा का एक अधिकार जो-

(ए) कसी संतर पर हमला या हमला करता है; या

(बी) गरयतार या कारावास मण्डल होने पर, सामने क़ा गरयतार या कारावास से बच जाता है; या

(सी) अपने कायालय के पुनर्युग्ण मण्डल अपने वरक़ा अधिकार के पुनर्युग्ण अवकाश या द 8 है; या

(डी) राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलर क़ा के कसी भी रक या पद पर अधिनय अधिकार के साथ दुभावनापूण दु 0 य वहार करना; या

(ई) दुभावनापूण, या 0 दखावा करता है, या उसमण्डल बीमार या दुबलता पैदा करता है या जानबूझकर देर करता है, उसके 0 खेपन को दूर करता है, या उसका बीमार या दुबलता को बढ़ाता है; या

(च) संतर होने के नाते, अपने पद पर रहते हुए सोता है; या

(छ) पुनर्युग्ण 0 प से कायामुहेंत हुए 0 बना या छुट 8 के 0 बना अपना पोहट गाड, पकेट पाटक़ या ग 0 त छोड़ देता है।

दोषी पाए जाने पर सात साल तक क़ा कैद या जुमाना या दोन से दंड क़ा जाएगा।

8. छोट 8-मोट 8 सजा.- (1) [महापुनरक़ा या उप-महापुनरक़ा या कमांडांट या] [ऐसे महापुनरक़ा या उप-महापुनरक़ा या कमांडांट या सहायक कमांडांट] या ऐसे अ 0 य अधिकार के पुनर्युग्ण के अधीन, जो पुनर्युग्ण क़ा जा सकता है, औपचारिक परक़ा के 0 बना, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलर क़ा के हेड कांस्टेबल या उससे नीचे के रक के कसी भी अधिकार को, जो उसके अधिकार के अधीन है, अनुशासन के व 0 क़ा कसी भी अपराध के लए पुनर्युग्ण मण्डल से कोई भी दंड, जो अ 0 यथा इस अधपुनर्युग्ण मण्डल देन नह 8 क़ा गया है या िजसके लए मण्डल क़ा गया है। जैसा भी मामला हो, कमांडांट, सहायक कमांडांट या अधिकार क़ा राय इतनी गंभीर मकृत क़ा नह 8 है क़ा कसी आपराधक अदालत के समक़ा मुकदमा चलाने का मांग क़ा जा सके, यानी:

(ए) देवाटर-गाड, या ऐसे अ 0 य हथान पर कारावास, िजसे उपयुग्ण माना जा सकता है, एक अवध के लए िजसे कमांडांट द्वारा आदेश पार क़ा जाने पर आठईस 0 दन तक बढ़ाया जा सकता है, या कसी कमांडांट द्वारा आदेश पार क़ा जाने पर सात 0 दन तक बढ़ाया जा सकता है। अ 0 य अधिकार ऐसे कारावास मण्डल कारावास का अवध के लए सभी वेतन और म 0 े ज 0 त करना शामिल होगा।

(बी) सजा 0 ल, अ 0 तारहेंत गाड, थकान या अ 0 य मयूठ, अवध मण्डल आठईस 0 दन से अधिक नह 8, लाइ 0 स मण्डल कारावास के साथ या उसके 0 बना।

(सी) जुमाना सात 0 दन के वेतन से अधिक नह 8 होगा।

- (2) उपधारा (1) मण्डल कोर्ट कोई भी दंड अलग से या किसी एक या अधिक के साथ दिया जा सकता है:
 बशर्तकि कारावास और कारावास लगातार आठईस घंटों से अधिक नहों होगा, और जुमाना कारावास के साथ नहों जोड़ा जाएगा।
 (3) इस धारा के तहत भारत आदेश के खिलाफ कोई अपील नहों का जाएगी।

9. राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल से बखालेगी।- कल १८५१ वधानमंडल के पुलिस अधिनियम, 1861, या किसी अंग्रेजी कानून मण्डल के तहत उल्लंघन के बावजूद, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर का कोई भी अधिकार राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर से बखालेगी का हकदार नहों होगा [उसके द्वारा] लखत रूप मण्डल के लिए गए इलेक्ट्रिक के अलावा और महापुनर्रक्षक या उपमहापुनर्रक्षक द्वारा कीकृत:
 बशर्तकि ऐसा महापुनर्रक्षक या उपमहापुनर्रक्षक अपने पदश मण्डल ऐसे किसी भी इलेक्ट्रिक को कीकार करने से इंकार कर सकता है]

10. मखालत।- [महापुनर्रक्षक] धारा 9 मण्डल के किसी भी बात के बावजूद, किसी भी समय राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर के एक अधिकार को, जिसे [राजस्थान पुलिस] से हटा दिया गया है, राजस्थान पुलिस मण्डल वापस कर सकता है।

11. कारावास का थान।- (1) इस अधिनियम के तहत तीन महने से अधिक का अवध के लिए कारावास का सजा पाने वाले शिष्ट को, कल १८५१ वधानमंडल के पुलिस अधिनियम, 1861 मण्डल के किसी भी बात के बावजूद, राजस्थान पुलिस बल से बखाले कर दिया गया माना जाएगा। राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर और पुनकटतम या ऐसी अंग्रेजी जेल मण्डल कैदकया जाएगा जैसा क सरकार सामांग्रय या विशेष आदेश दे सकती है।
 (2) इस अधिनियम के तहत तीन महने से अधिक का अवध के लिए कारावास का सजा पाने वाले शिष्ट को, यद [महापुनर्रक्षक या उप महापुनर्रक्षक या कमांडांट] या उसके पुनयुग के अधीन, एक सहायक कमांडांट, ऐसा पुनदश देता है, मण्डल कैदकया जा सकता है।
 हेवाटर गाड या ऐसा अंग्रेजी थान जिसे [ऐसे महापुनर्रक्षक या उप महापुनर्रक्षक या कमांडांट] या सहायक कमांडांट उपयुक्त समझा।

12. अंग्रेजी कानून के तहत अ भयोजन को बचाना।- इस अधिनियम मण्डल कुछ भी किसी शिष्ट को कल १८५१ वधानमंडल के पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत या उस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी आदेश या पुनयम या उस समय लागू किसी अंग्रेजी अधिनियम या किसी काय या चूक के तहत मुकदमा चलाने से नहों रोकेगा। इसके तहत दंडनीय है, या उदारी होने से, यद ऐसा कया जाता है तो इस अधिनियम द्वारा उस काय या चूक के लिए मदान कए गए किसी अंग्रेजी या उचि दंड से दंड कया जा सकता है:
 बशर्तकि किसी भी शिष्ट को एक हठ अपराध के लिए दो बार दंड नहों कया जाएगा।

13. राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर के कमांडांट और पुवतीय कमांड का अनुशासनामक और अंग्रेजी शिष्टियां, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर के संबंध मण्डल अंग्रेजी - ऐसे मील के अधीन जो [रांग सरकार] इस संबंध मण्डल बना सकती है [एक उप महापुनर्रक्षक या एक कमांडांट या सहायक कमांडांट के पास कल १८५१ वधानमंडल के पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत राजस्थान पुलिस बल मण्डल पुष्ट पुलिस अधिकार के संबंध मण्डल, जो राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर के अधिकार नहों ह, उनके पास उप पुनर्रक्षक के समान अनुशासनामक शिष्टियां हंगी। जनरल या किसी जिले के पुलिस अधीक, उस अधिनियम के तहत उनके संबंध मण्डल ह।

14. राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर को भंग करने या पुनगुठित करने का [हेलेट सरकार] का शिष्टियां।- (1) [रांग सरकार] [सरकार राजपुठ] मण्डल अधसूचना द्वारा राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर को भंग या पुनगुठित कर सकती है या उसका [बटालियन] कर सकती है।
 (2) जब भी राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर या उसका कोई 5 [बटालियन] उप-धारा (1) के तहत भंग या पुनगुठित का जाती है, तो यह इस अधिनियम या उस समय लागू किसी भी अंग्रेजी अधिनियम मण्डल के तहत किसी भी बात के बावजूद और इस तरह के अधीन होगी। ऐसी शत, जो पुनधारित का जा सकती ह, [रांग सरकार] के लिए ऐसे वघटन या पुनगुठन का िट से राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर से किसी भी अधिकार को सेवामुक्त करने के लिए वैध हंगी, यद वह कल १८५१ वधानमंडल के पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत नामांकत है, और है पुलिस बल का ओर से भी इसका पुिट नहों का गयी है।

15. पुनयम बनाने का शिष्ट।- (1) [हेलेट सरकार] इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पुनयम बना सकती है। (2) पूवगामी शिष्टियां का आपकता पर पुतकूल मभाव डाले बना, पुनयम पुनलखत मामल के लिए मवधान कर सकते ह, अथात्
 (i) गुठत का जाने वाल [बटालियन] का संध्या;
 (ii) राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर के अधकार्य का वेतन और सेवा के अंग्रेजी पुनयम और शत;
 (iii) कस तरह के से और कन शिष्टियां को राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर के अधिकार पुनयुक्त कया जा सकता है;
 (iv) कोई अंग्रेजी मामला जो पुनधारित कया जाना है या कया जा सकता है।

अनुसूची

कथन

(धारा 4 देख)

राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर मण्डल आपका सेवा का अवध के दौरान किसी भी समय, आप अपने वय के अनुरोध पर अपनी छुट्टी मण्डल करने के हकदार नहों हंगे। [बटालियन] के बल के समांत होने पर, जिसमण्डल आप कुछ समय के लिए तैनात हो सकते ह, आपको राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलर से छुट्टी दे दह जाएगी और, जब तक आप राजस्थान मण्डल शामिल होने से पहले हठ राजस्थान पुलिस बल के पुिट सदस्य नहों थे राजस्थान पुलिस से सशस्त्र कांस्टेबलर भी (हालांक, आप राजस्थान पुलिस

बल मॆ पुनः भतक के"लए पाङ्ग हॆगै) राजॆथान पुलस बल मॆ बने रहने या उसमॆ पुनः भतक होने कॆ िॆथॆत मॆ, आपकॆ सेवाएं राजॆथान सशॆङ्ग कांॆटेबुलरॆ मॆ हॆगी राजॆथान पुलस बल मॆ पदोॆनॆत और पॆशन के"लए"गनती।

पुलस अधिकारॆ के हॆताॆर यह ॆवीकार करते हुए क उपरोॆत उॆहॆ पढ़"लया गया है।

मेरॆ उपिॆथॆत मॆ हॆताॆर"कए गए, जब मॆने यह सुॆनिॆचत कर"लया"क उसने जो हॆताॆर"कया है उसका आशय समझ गया हूँ।

मिजॆॆॆट,

*[महाॆनरॆक,

उप

महाॆनरॆक]

कमांडॆट या सहायक कमांडॆट।

*कोॆठक मॆ यह भाग उन अधिकारिॆ के मामले मॆ हटा ॆदया जाएगा जो राजॆथान सशॆङ्ग कांॆटेबुलरॆ मॆ शामिल होने पर पहले से हॆ राजॆथान पुलस बल के सदॆय हॆ।

